30 जुलाई 2021 कार्यकारी आदेश 2021-16

स्वाभाविक न्याय कार्यालय स्थापित करने का कार्यकारी आदेश

जबकि, मैं, राज्यपाल जे. बी. प्रिट्ज़कर, राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक नीति में विविधता, स्वाभाविक न्याय और समावेश को आगे बढ़ाकर अन्यायपूर्ण और असमान सामाजिक परिस्थितियों के निवारण के लिए समानता प्रणालियाँ और नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य की ताकत इसकी आबादी की विविधता और सभी निवासियों के लिए स्वाभाविक न्याय और समान सेवाओं के लिए इसकी प्रतिबद्धता से प्राप्त होती है; और,

जबकि, असमानता का प्रभाव पूरे समुदायों पर पड़ता है, विशेष रूप से उन पर जो संरचनात्मक, सामाजिक और संस्थागत असमानताओं और अन्यायों से असमान रूप से प्रभावित हुए हैं; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य, निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देना चाहता है और कार्यस्थल में और सभी निवासियों के लिए गैरकानूनी भेदभाव और उत्पीड़न का मुकाबला करना चाहता है; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2018-02 के अनुसार, राज्यपाल के मुख्य अनुपालन कार्यालय के भीतर मुख्य विविधता अधिकारी के पद की स्थापना की गई थी; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य को यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकार की एजेंसियां और उनके कर्मचारी, सार्वजनिक सेवाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों में एक समान, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से सक्षम तरीके से सभी इलिनॉय निवासियों की सेवा करते हैं;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझमें निहित कार्यकारी प्राधिकार के आधार पर, इसके द्वारा निम्नवत आदेश देता हूं:

अनुभाग 1. इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों से, निम्नलिखित शब्दों को नीचे वर्णित के अनुसार परिभाषित किया गया है:

a. "राज्य एजेंसी" का अर्थ राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में इलिनॉय राज्य की कार्यकारी शाखा का कोई भी कार्यालय, विभाग, एजेंसी, बोर्ड, आयोग या प्राधिकरण है।
b. "राज्य कर्मचारी" का अर्थ है सभी अधिकारी, कर्मचारी (बिना किसी सीमा के पूर्णकालिक, अंशकालिक और संविदात्मक कर्मचारी सहित), नियुक्त व्यक्ति (बिना किसी सीमा के भुगतान किए गए और अवैतनिक नियुक्तियों सहित), और किसी भी राज्य एजेंसी में समान पद धारण करने वाले व्यक्ति।

अनुभाग 2. यहाँ इसके द्वारा राज्यपाल के कार्यालय के भीतर स्वाभाविक न्याय कार्यालय का निर्माण किया गया है। स्वाभाविक न्याय कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए राज्यपाल एक मुख्य स्वभाविक न्याय अधिकारी को नियुक्त करेगा।

अनुभाग 3. मुख्य स्वभाविक न्याय अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रयासों का नेतृत्व करेगा कि इलिनॉय राज्य इलिनॉय के लोगों के लिए संस्थागत और प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और इसके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले और नियुक्त किए जाने वाले सभी लोगों को पहुँच प्रदान करने और उनके लिए अवसर का निर्माण करने के उद्देश्य से स्वाभाविक न्याय और समावेश के मामले में एक नेतृत्वकर्ता है। मुख्य स्वभाविक न्याय अधिकारी:

a. इलिनॉय राज्य के लिए विविधता, स्वाभाविक न्याय, और समावेश सम्बन्धी पहल, कानून और नीति पर नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करेगा।
b. राज्य में स्वभाविक न्याय से संबंधित बाधाओं को पहचानें और उनका निवारण करें।
c. इलिनॉय में सबके लिए सेवाएं और संसाधन उपलब्ध और सुलभ हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में स्वभाविक न्याय सम्बन्धी प्रयासों में मदद करेगा।
d. एक स्थायी बुनियादी ढांचा और स्वभाविक न्याय उन्मुख प्रणालियों, नीतियों, और उन प्रक्रियाओं का निर्माण करेगा जो राज्य की एजेंसियों के भीतर विविधता, स्वभाविक न्याय, समावेश को संचालित करती हैं।
e. राज्य के कर्मचारियों और निवासियों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विविधता, स्वाभाविक न्याय और समावेशी संसाधनों को संकलित और उपलब्ध कराएगा।
f. सर्वोत्तम कार्य प्रथाओं को दर्शाते हुए विविधता, स्वाभाविक न्याय और समावेश सम्बन्धी प्रशिक्षणों में सहयोग करेगा।
g. राज्यव्यापी विविधता, स्वभाविक न्याय और समावेश सम्बन्धी मानदंडों और प्रगति सम्बन्धी उपायों का विकास करेगा।
h. पूरे राज्य में उत्पीड़न, भेदभाव और प्रतिशोध को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए मुख्य अनुपालन कार्यालय के साथ सहयोग करेगा।
i. इस कार्यकारी आदेश में उल्लिखित लक्ष्यों को प्रभाव में लाने के लिए आवश्यक माने गए अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा।

अनुभाग 4. सभी राज्य कर्मचारी, मुख्य स्वभाविक न्याय अधिकारी के निर्देशानुसार विविधता, स्वभाविक न्याय और समावेश पर केंद्रित वार्षिक प्रशिक्षणों में भाग लेगा।

अनुभाग 5. कार्यकारी आदेश 2018-02 के अनुसार, एक अलग-थलग स्वभाविक न्याय कार्यालय की स्थापना के आधार पर, मुख्य अनुपालन कार्यालय के भीतर मुख्य विविधता अधिकारी के पद की धारा III की स्थापना को रद्द कर दिया गया है।

अनुभाग 6. यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को उलट देता है।

अनुभाग 7. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

अनुभाग 8. यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 30 जुलाई, 2021
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 30 जुलाई, 2021